01/8/24 उपखण्ड अधिकारी तहसीलदार के कस्बी से प्राप्त पत्र क्रमांक/राजस्व/2024/286 दिनांक 17/05/2024 अनुसार "हरजकाई बगान देवीलाल प्रकरण में ना.सं. 2062 दिनांक 19.2.2024 से पालना की जानी थी। पत्र प्राप्ति मिलने की चूंकि डिक्री आदेशानुसार पालना हो चुकी है, जिसके पश्चात में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रहती है। अतः पत्रावली फैसल शुमार होकर नस्ती के काबिल है।

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)